न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री भँवर सिंह सान्दू, आर0ए0एस

सिलिंग / रिओपन / 01 / 1985

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जोधपुर		1. श्री सौभागसिंह पुत्र स्व. श्री अजीतसिंह 2. स्व0 श्री स्वरुपसिंह पुत्र स्व. श्री अजीतसिंह के कायममुकाम 2 / 1 श्री राघवेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 श्री स्वरुपसिंह 2 / 2 श्री सूर्यवीरसिंह पुत्र स्व0 श्री स्वरुपसिंह 2 / 3 श्रीमती बसन्त उषा पत्नी स्व0 श्री स्वरुपसिंह निवासी जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर

उपस्थिति

आदेश दिनांक 19.05.2017

1. श्री श्रवणसिंह राठौड, तहसीलदार जोधपुर
2. श्री गुलाबसिंह चांपावत,अधिवक्ता (अप्रार्थीगण)

आदेश

माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिनांक 13.08.1991, 31.05.2002 एवं 07.02.2013, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका में दिए गए निर्णय दिनांक 25.03.2014 एवं डी.बी.सिविल रिट याचिका में पारित निर्णय दिनांक 09.08.2016 की पालना में सिलिंग प्रकरण सं 01 / 1985 सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर बनाम अजीतसिंह के कायममुकाम की पत्रावली प्रस्तुत हुई।

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि सिंलिग प्रकरण संख्या 29 ए / 1970 सरकार बनाम अजीतसिंह में उपजिलाधीश जोधपुर द्वारा दिनांक 04.10.1971 को निर्णय किया गया, जिसके विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 की धारा 15 (2) के तहत दिनांक 01.07.1976 द्वारा रीऑपन कर पुनः सुनवाई के लिए अतिरिक्त कलक्टर जोधपुर को प्रेषित किया गया। राज्य सरकार के आदेश की अनुपालना में न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर,जोधपुर द्वारा सीलिंग प्रकरण संख्या 11 / 1976 दर्ज कर सुनवाई प्रारम्भ की गयी एवं दिनांक 28.12.1981 को प्रकरण का निर्णय किया गया।

उक्त निर्णय की पालना में नायब तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 07.07.1984 को नामान्तकरण संख्या 967 से 975 कुल 9 नामान्तकरणो द्वारा भूमि राज्य सरकार के पक्ष में दर्ज की गयी।

अतिरिक्त कलक्टर जोधपुर के आदेश दिनांक 28.12.1981 के विरूद्व भूमिधारक स्वर्गीय श्री अजीतसिंह के पुत्र श्री सौभागसिंह एवं श्री स्वरूपसिंह एवं प्रश्नगत भूमि के क्रेता बताने वाले अन्य व्यक्तियों द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर में 26 अपीले दायर की गयी। इन सभी अपीलो में एक ही प्रकार के तथ्य का कानूनी बिन्दु निहित होने के कारण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 31.7.1984 को निर्णय पारित किया गया जिसमें अतिरिक्त कलक्टर जोधपुर के आदेश दिनांक 28.12.1981 को निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई के लिए अतिरिक्त कलक्टर जोधपुर को प्रेषित किया गया। प्रकरण प्राप्त होने पर पुनः सीलिंग प्रकरण संख्या 01 / 1985 दायर कर अतिरिक्त कलक्टर,जोधपुर द्वारा पक्षकारान की विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 03.03.1986 को निर्णय पारित किया गया जिसमे वाके ग्राम बिसलपुर तहसील जोधपुर में भूतपूर्व महाराजा श्री अजीतसिंह की खातेदारी की भूमि में से कुल 250.16 बीघा भूमि के हस्तान्तरण को मान्यता

प्रदान करने के पश्चात् 4289 बीघा ग्राम बिसलपुर एवं 32 बीघा भूमि ग्राम नारलाई (पाली) कुल 4321 बीघा भूमि यानि 448.48 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि भूमिधारक के खाते में शेष मानी गयी। उक्त भूमि में से 30 स्टेण्डर्ड एकड भूमि श्री अजीतसिंह को रखने का अधिकारी मानते हुए भूमिधारक के खाते में 448.48 स्टेण्डर्ड एकड भूमि मे से एक यूनिट की 30 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि कम करते हुए शेष रही 418.48 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि को सिलिंग सीमा से अधिक माना जाकर 418.48 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में अधिग्रहण किये जाने का आदेश दिया गया तथा भूमिधारक को विकल्प प्रस्तुत करने का एक माह का समय दिया गया।

अतिरिक्त कलक्टर,जोधपुर के आदेश दिनांक 03.03.1986 के विरूद्व स्वर्गीय श्री अजीतसिंह के कायममुकाम श्री सौभागसिंह वगैराह द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष अपील संख्या 98/86 प्रस्तुत की गयी। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 13.08.1991 में श्री अजीतसिंह भूमिधारक के पास कुल 448.48 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि की गणना को सही मानते हुए आशिंक रूप से अपील स्वीकार करते हुए उक्त भूमि में श्री अजीतसिंह भूमिधारक के साथ उनके दो पुत्र श्री सौभागसिंह एवं श्री स्वरूपसिंह को भी पृथक पृथक यूनिट मानते हुए कुल 448.48 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि में 1/3 हिस्सा यानि 149.49 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि एक यूनिट के पक्ष में मानी गयी अर्थात श्री अजीतसिंह की कुल भूमि 448.48 स्टेण्डर्ड एकड़ में उनके पुत्र सौभागसिंह व स्वरूपसिंह को सम्मलित करते हुए कुल तीन यूनिट माना गया। प्रति यूनिट 149.49 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि मानी गयी। इस प्रकार उक्त आदेशानुसार स्वर्गीय श्री अजीतसिंह 30 स्टेण्डर्ड एकड़ एवं उनके दोनो पुत्र 30–30 स्टेण्डर्ड एकड़ के हिसाब से कुल 90 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि रखने के अधिकारी होते है। स्वर्गीय श्री अजीतसिंह की कुल 448.48 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि में से 90 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि देने पर 358.47 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि सीलिंग सीमा से अधिक होने से राज्य सरकार में अधिग्रहण योग्य होती है।

राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.08.1991 की पालना में न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर जोधपुर ने आदेश दिनांक 23.02.2000 मे त्रृटिवश केवल 119.49 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि ही सीलिंग सीमा से अधिक मानते हुए अधिग्रहण करने के आदेश दिए गए एवं भूमिधारक से पूर्व में अधिक अधिग्रहण की गयी भूमि को पुनः भूमिधारक एवं क्रेताओं के नाम दर्ज करने के आदेश तहसीलदार जोधपुर को दिए गए। यहां यह उल्लेखनीय है कि राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक 13.08.1991 में न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.08.1986 में भूमिधारक स्वर्गीय श्री अजीतसिंह के साथ उनके दो बालिग पुत्रो को भी पृथक यूनिट मानकर कुल तीन यूनिट मानते हुए कुल भूमि 448.48 स्टेण्डर्ड एकड़ मे से 1/3 149.49 स्टेण्डर्ड एकड़ माना गया था। इस प्रकार एक व्यक्ति के हिस्से में आने वाली 149.49 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि मे से 30 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि कम करने पर 119.49 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि प्रत्येक हिस्सेदार के खाते में सीलिंग सीमा से अधिक होती है। भूमिधारक की कुल 448.48 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि में से तीन यूनिट की कुल 90 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि कम करने पर 358.47 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि सीलिंग सीमा से अधिक मानी जाकर राज्य सरकार के पक्ष में अधिग्रहण की जानी थी, परन्तु अतिरिक्त कलक्टर जोधपुर द्वारा जरिये आदेश दिनांक 23.02.2000 में त्रुटिवश तीन यूनिट के स्थान पर केवल एक यूनिट की 119.49 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि का ही अधिग्रहण करने एवं पूर्व में अधिग्रहण की गयी भूमि को भूमिधारक एवं अन्य क्रेताओ के नाम दर्ज करने के आदेश तहसीलदार जोधपुर को पारित किए गए।

अपील संख्या 98/86 में निर्णय दिनांक 13.08.1991 के पश्चात स्वर्गीय श्री अजीतसिंह के कायममुकाम श्री सौभागसिंह वगैराह द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151/152 सीपीसी प्रस्तुत करने पर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक 31.05.2002 द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 13.08.1991 के अनुसार कुल तीन यूनिट मानते हुए प्रत्येक का 1/3 हिस्सा मानने पर भूमिधारक के पास कुल 418.48 स्टेण्डर्ड एकड़ का 1/3 हिस्सा 149.49 स्टेण्डर्ड एकड़ के स्थान पर 139.49 स्टेण्डर्ड एकड़ होना माना जाकर 139.49 स्टेण्डर्ड एकड़ पढा जाने का आदेश पारित किया।

अतिरिक्त कलक्टर जोधपुर के आदेश दिनांक 23.02.2000 की पालना में नायब तहसीलदार जोधपुर द्वारा नामान्तकरण संख्या 1518 दिनांक 18.06.2005 स्वीकृत किया गया जिसके अनुसार राज्य सरकार के पक्ष में इन्द्राज 3843.09 बीघा भूमि मे से पुनः 2614.12 बीघा भूमि श्री सौभागसिंह, स्वरूपसिंह पुत्रान श्री अजीतसिंह के नाम दर्ज की गयी।

उक्त नामान्तकरण संख्या 1518 के विरूद्व स्वर्गीय श्री अजीतसिंह से खरीदी गयी भूमि के खरीददारो द्वारा राजस्व अपील संख्या 38/2006 से 42/2006 न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की गयी। उक्त सभी अपीले जिला कलक्टर जोधपुर ने निर्णय दिनांक 28.08.2006 द्वारा सभी अपीले निरस्त की गयी। जिला कलक्टर जोधपुर के निर्णय दिनांक 28.08.2006 के विरूद्व न्यायालय डिवीजनल कमीश्नर जोधपुर के समक्ष द्वितीय राजस्व अपील संख्या 222/2006 से 226/2006 प्रस्तुत की गयी।न्यायालय डिवीजनल कमीश्नर जोधपुर द्वारा उक्त अपीलो में निर्णय दिनांक 26.05.2007 द्वारा नामान्तकरण संख्या 1518 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार जोधपुर को पुनः प्रेषित किया गया। उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 29.05.2007 को नामान्तकरण संख्या 1518 पर निरस्त किये जाने का नोट अंकित किया गया।

न्यायालय डिवीजनल कमीश्नर जोधपुर के निर्णय दिनांक 26.05.2007 के विरूद्व श्री सौभागसिंह व अन्य द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष निगरानी संख्या रिवीजन/एलआर/5729/2007 से 5733/2007 प्रस्तुत की गयी। राजस्व मण्डल अजमेर ने निर्णय दिनांक 07.02.2013 द्वारा उक्त निगरानियों में डिवीजनल कमीश्नर जोधपुर द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की गयी एवं जिला कलक्टर जोधपुर को निर्देशित किया गया कि राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.08.1991 एवं 31.05.2002 की पालना की जावें।

माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 07.02.2013 के विरूद्व श्री सौभागसिंह व अन्य द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 2513/2013, 2493/2013, 2494/2013,2495/2013 व 2560/2013 प्रस्तुत की गयी जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने निर्णय दिनांक 25.03.2014 द्वारा उक्त याचिकाओं को खारिज करते हुए जिला कलक्टर जोधपुर को राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित आदेश की पालना कर पालना रिपोर्ट से राजस्व मण्डल तथा उच्च न्यायालय को अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.03.2014 के विरूद्व श्री सौभागसिंह व अन्य द्वारा डीबी सिविल स्पेशल अपील संख्या 1199/2014, 1067/2014, 1072/2014, 1083/2014 व 1085/2014 प्रस्तुत की गयी। उक्त डी.बी. सिविल स्पेशल अपीलो में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने निर्णय दिनांक 09.08.2016 द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की सिंगल बैंच द्वारा पारित निर्णय की पुष्टि करते हुए जिला कलक्टर जोधपुर को निर्णय की पालना रिपोर्ट शीध्रताशीध्र सिंगल बैंच के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2513/2013, 2493/2013, 2494/2013,2495/2013 व 2560/2013 मे पारित निर्णय दिनांक दिनांक 25.03.2014 एवं डीबी सिविल स्पेशल अपील संख्या 1199/2014, 1067/2014, 1072/2014, 1083/2014 व 1085/2014 मे पारित निर्णय दिनांक 09.08.2016 में दिए गए निर्देशों की पालना में अप्रर्थीगण सौभागसिंह वगैरह को विकल्प प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिनांक 21.09.2016 को जारी किये गये। आदेशिका के अनुसार अप्रार्थीगण सौभागसिंह वगैरह द्वारा दिनांक 04.10.2016 को विकल्प प्रस्तुत किया गया जिसमें स्वर्गीय श्री अजीतसिंह के कायममुकाम श्री सौभागसिंह वगैराह द्वारा ग्राम बिसलपुर तहसील जोधपुर स्थित निम्नलिखित खसरान की भूमि को उनकी खातेदारी में रखने का विकल्प प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है :–

ख0 न0	1623	रकबा 0.02 बीघा	गैर मु0 बेरा
ख0 न0	1624	रकबा 0.04 बीघा	गैर मु0 बेरा
ख0 न0	1625	रकबा 0.02 बीघा	गैर मु0 बेरा
ख0 न0	1626	रकबा 0.03 बीघा	गैर मु0 बेरा
ख0 न0	1627	रकबा 0.03 बीघा	गैर मु0 बेरा
ख0 न0	1628	रकबा 162.15 बीघा	
ख0 न0	1565,1567	रकबा	शेष भूमि इन खसरों

स्वर्गीय श्री अजीतसिंह के कायममुकाम श्री सौभागसिंह वगैराह द्वारा प्रस्तुत विकल्प तहसीलदार जोधपुर को इस कार्यालय के पत्र दिनांक 05.10.2016 के संलग्न प्रेषित कर तहसीलदार जोधपुर से विकल्प

में वर्णित भूमि की राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति की रिपोर्ट एवं माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में भारमुक्त भूमि की रिपोर्ट चाही गयी।

तहसीलदार जोधपुर ने अपने पत्रांक 525 दिनांक 25.04.217 के जरिये रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी जिसके अनुसार सीलिंग प्रकरण से संबंधित 2640.10 बीघा भूमि सरकारी खाते में दर्ज, 1040.00 बीघा भूमि जेडीए के खाते में दर्ज एवं 635.15 बीघा भूमि निजी खातेदारी में दर्ज होना बताया गया। जो कुल 4290.05 बीघा भूमि होती है। रिपोर्ट में वर्तमान निजी खातेदारी की भूमि की स्थिति इस प्रकार से बतायी गई।

.ख न0 रकबा	ना0स0	बैचानकर्ता	खरीददार
1055 रकबा 9.18 चा III	500 / 26.04.75	अजीतसिंह पुत्र सरदारसिंह	मिसरा / रावत वगै0 जाट
	552	मिसरा / रावत वगै0 जाट	श्री सरकार दर्ज
	571	श्री सरकार	उदाराम / हिन्दूराम मेघवाल को आवंटन
	968 / 07.07.84	उदाराम / हिन्दूराम मेघवाल	खालसा सरकार (अवाप्त) ख0न0 1055 रकबा 3.07 बीघा

वर्तमान में खसरा न0 1055 रकबा 6.11 बीघा भूमि उदाराम / हिन्दूराम मेघवाल सा0 बिसलपुर की खातेदारी एवं मौके पर कब्जा उसी का है । शेष भूमि 3.07 बीघा भूमि खालसा श्री सरकार दर्ज है।

ख न0 रकबा	ना0स0	बैचानकर्ता	खरीददार
1503 रकबा 49.07 बीघा चा I	114	अजीतसिंह / सरदारसिंह	राणीसाहिबा कलबाई
	170	राणीसाहिबा कलबाई	जसवन्तसिंह / सौभागसिंह
	461	जसवन्तसिंह / सौभागसिंह	दौलतसिंह / फतेहसिंह
	1107 / 15.05.89	दौलतसिंह / फतेहसिंह	करणविजयसिंह / सौभागसिंह
	1287 / 25.03.98	करणविजयसिंह / सौभागसिंह	बसन्तीदेवी / मंगलाराम जाट
	1497 / 17.12.04	बसन्तीदेवी / मंगलाराम जाट	देवी पत्नी शंकरराम जाट, सा0 देह खातेदार

वर्तमान में खसरा नम्बर 1503 रकबा 49.07 बीघा, देवी पत्नी शंकरराम जाट सा0 बिसलपुर के नाम खातेदारी में तथा कब्जा काश्त में है इस भूमि पर खातेदार द्वारा नामा0 संख्या 1780 / 07.08.10 से जेटीजीबी शाखा में रहन दर्ज है।

ख न0 रकबा	ना0स0	बैचानकर्ता	खरीददार
1498 रकबा 21.18 बीघा चा II	114	अजीतसिंह / सरदारसिंह	राणीसाहिबा कलबाई
	170	राणीसाहिबा कलबाई	जसवन्तसिंह / सौभागसिंह
	461	जसवन्तसिंह / सौभागसिंह	दौलतसिंह / फतेहसिंह
	1107 / 15.05.89	दौलतसिंह / फतेहसिंह	करणविजयसिंह / सौभागसिंह
	1288 / 25.03.98	करणविजयसिंह / सौभागसिंह	महिपाल / मंगलाराम जाट नि0 डांगियावास
	1515 / 05.05.2005	महिपाल / मंगलाराम जाट नि0 डांगियावास	देवी पत्नी शंकरराम जाट सा0 बिसलपुर

वर्तमान में खसरा नम्बर 1498 रकबा 21.18 बीघा श्रीमती देवी पत्नी शंकरराम जाट निवासी बिसलपुर के नाम तथा कब्जे काश्त है और जरिये नामा0 स0 1780 / 07.08.10 के द्वारा जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा बिसलपुर के पक्ष में रहन दर्ज है।

ख न0 रकबा	ना0स0	बैचानकर्ता	खरीददार
1629 रकबा 18.09 बीघा चा III	115	अजीतसिंह / सरदारसिंह	सौभागसिंह / अजीतसिंह
	170	सौभागसिंह / अजीतसिंह	जसवन्तसिंह / सौभागसिंह
	—	जसवन्तसिंह / सौभागसिंह	
	1107 / 15.05.89	दौलतसिंह / फतेहसिंह	करणविजयसिंह / सौभागसिंह
	1288 / 25.03.98	करणविजयसिंह / सौभागसिंह	महिपाल / मंगलाराम जाट
	1562 / 05.05.06	महिपाल / मंगलाराम जाट	श्री गोपाल गौशाल परमानन्द धाम, भाटों की ढाणी, बिसलपुर

वर्तमान में खसरा न0 1629 रकबा 18.09 बीघा भूमि श्री गोपाल गौशाल परमानन्द धाम, भाटों की ढाणी, बिसलपुर के नाम तथा कब्जे में है।

ख न0 रकबा	ना0स0	बैचानकर्ता	खरीददार
1630 रकबा 145.12 बीघा चा II	115	अजीतसिंह / सरदारसिंह	सौभागसिंह / अजीतसिंह
	169	सौभागसिंह / अजीतसिंह	रणविजयसिंह / सौभागसिंह
	460	रणविजयसिंह / सौभागसिंह	खुशालसिंह / कानसिंह
	1563 / 05.05.06	खुशालसिंह / कानसिंह	श्री गोपाल गौशाल परमानन्द धाम, भाटों की ढाणी, बिसलपुर

वर्तमान में ख0न0 1630 रकबा 145.12 बीघा भूमि श्री श्री गोपाल गौशाल परमानन्द धाम, भाटों की ढाणी, बिसलपुर की खातेदारी एवं कब्जे में स्थित है । मौके पर गौशाला भवनर व चारा गौदाम बने है।

ख न0 रकबा	ना0स0	बैचानकर्ता	खरीददार
1627 रकबा 0.03 बीघा गै0मु0बेरा तथा 1628 रकबा 162.15 बीघा चा II	115	अजीतसिंह / सरदारसिंह	सौभागसिंह / अजीतसिंह
	1648 / 15.1.08	सौभागसिंह / अजीतसिंह(फौट)	रणविजयसिंह / सौभागसिंह

वर्तमान में खसरा न0 1627,1628 रणविजय सिंह पुत्र सौभागसिंह के खातेदारी में तथा कब्जे में स्थित है।

ख न0 रकबा	ना0स0	बैचानकर्ता	खरीददार
1517 रकबा 26.02 बीघा चा II	126	अजीतसिंह / सरदारसिंह	देवीसिंह / भूरसिंह राजपुतह हरचन्द, हरलाल / किरताराम वगै0 जाट नि0 खातियासनी
	1261 / 10.03.97	देवीसिंह / भूरसिंह	हरचन्द, हरलाल / किरताराम वगै0 जाट नि0 खातियासनी

वर्तमान में खं न0 1517 रकबा 26.02 बीघा भूमि हरचन्द, हरलाल/किरताराम वगै0 जाट नि0 खातियासनी की खातेदारी एवं कब्जे में है।

ख न0 रकबा	ना0स0	बैचानकर्ता	खरीददार
1534 रकबा 25.19 बीघा चा III	165	अजीतसिंह/सरदारसिंह	भाना/रतना वगै. माली
	561	भाना/रतना वगै. माली	श्री सरकार
	569	श्री सरकार	भूराराम/मदरुपराम मेघवाल (12.19 बीघा आवंटन)
	568	श्री सरकार	केशाराम/भीकाराम मेघवाल (13.00 बीघा आंवटन)
	1636/20.12.07	केशाराम/भीकाराम मेघवाल(फौट)	सेसाराम, जीयाराम/केशाराम वगै0
	1675/ 05.03.08	सेसाराम, जीयाराम/केशाराम वगै0	मुकनाराम/अमराराम जटिया वगै0

वर्तमान में खसरा नम्बर 1534 रकबा 12.19 बीघा भूराराम /मदरुपराम मेघवाल को आवंटन होकर खातेदारी एवं कब्जा काश्त में है ख न0 1534/1 रकबा 13.00 बीघा मुकनाराम/अमराराम जटिया सा0 बिसलपुर व नासु/रामदेव जाति बेरवा सा0 नसीराबाद के नाम से खातेदारी एवं कब्जा है।

ख न0 रकबा	ना0स0	बैचानकर्ता	खरीददार
1565/3 रकबा 176.19 बीघा बा III	113	अजीतसिंह/सरदारसिंह	स्वरुपसिंह/अजीतसिंह
	168	स्वरुपसिंह/अजीतसिंह	तगतसिंह/स्वरुपसिंह
	462	तगतसिंह/स्वरुपसिंह	उम्मेदसिंह/गिरधारीसिंह
	1584/ 05.08.06	उम्मेदसिंह/गिरधारीसिंह	रामकिशन/समेलजी विश्नोई वगै0 सा0 बिसलपुर (रकबा 76.19 बीघा)

वर्तमान में 1565/3 रकबा 100 बीघा उम्मेदसिंह/गिरधारी सिंह तथा 76.19 बीघा भूमि रामकिशन/समेलजी विश्नोई वगै0 निवासी दांतिवाडा के नाम खातेदारी एवं कब्जे में है। उक्त भूमि ख0न. 1565 में शामिल है।

दिनांक 15.05.2017 को तहसीलदार जोधपुर एवं श्री अजीतसिंह के कायममुकाम पक्षकार के अधिवक्ता श्री गुलाबसिंह चांपावत की बहस सुनी गई।

तहसीलदार जोधपुर ने अपने बहस में बतलाया कि श्री अजीतसिंह पूर्व महाराजा के विरुद्ध सिलिंग प्रकरण चला जिसमे उपजिलाधीश जोधपुर द्वारा दिनांक 04.10.1970 द्वारा निर्णय किया गया। वर्ष 1976 में उक्त प्रकरण राज्य सरकार द्वारा रिऑपन करने पर अतिरिक्त कलक्टर, जोधपुर ने सुनवाई हेतु प्रेषित करने पर अतिरिक्त कलक्टर जोधपुर द्वारा वर्ष 1981 में निर्णित हुआ जिसके विरुद्ध स्व0 अजीतसिंह के कायममुकाम में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपीलें दायर की जिसे राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्रकरण पुनः सुनवाई के लिए रिमान्ड किया गया। प्रकरण रिमान्ड होने पर अति0 कलक्टर जोधपुर ने सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए दिनांक 03.03.1986 में उक्त प्रकरण को निर्णित करते हुए स्व0 अजीतसिंह के पास कुल 448.48 स्टेण्डर्ड भूमि मानते हुए श्री अजीतसिंह को 30 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि रखने का अधिकारी मानते हुए 448.18 स्टेण्डर्ड एकड़ मे से 30 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि कम करने के पश्चात शेष 418.48 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि राज्य सरकार के पक्ष में अधिगृहण करने के आदेश दिये गये। अतिरिक्त कलक्टर जोधपुर के निर्णय दिनांक 03.03.1986 के विरुद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष अप्रार्थीगण में अपील पेश की गई। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने स्व0 अजीतसिंह की कुल 448.48 स्टेण्डर्ड एकड भूमि में 1/3 हिस्सा यानि 149.49 स्टण्डर्ड एकड भूमि मानी गई अर्थात् स्व0 अजीतसिंह की कुल भूमि 448.48 स्टेण्डर्ड एकड में उनके पुत्र सौभागसिंह व स्वरुपसिंह को सम्मिलित करते हुए तीन यूनिट माना । इस प्रकार प्रत्येक यूनिट के हिसाब से इन तीनों के हिस्से में प्रत्येक की 149.49 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि खातेदारी की मानी गई। इस प्रकार

से कुल 90 स्टेण्डर्ड एकड भूमि स्व0 अजीतसिंह व उनके दोनो पुत्र रखने के अधिकारी होते है । अतः भूमिधारक के पास कुल 448.48 मे से 90 स्टेण्डर्ड एकड़ कम करने पर 358.48 स्टेण्डर्ड एकड भूमि अधिग्रहण योग्य है। बहस में आगे बताया कि राजस्व मण्डल अजमेर ने उसी अपील में पुनः दिनांक 31.05.2002 को आदेश पारित करते हुए 149.49 स्टेण्डर्ड एकड के स्थान पर 139.49 स्टेण्डर्ड एकड पढा जाने का कहा जो संभवत् गणना करने में त्रुटि हुई है राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिनांक 13.08.1991 के पैरा–12 को पढने से यह स्थिति पूर्णतया स्पष्ट हो जाती है कि उक्त आदेश में राजस्व मण्डल द्वारा भी भूमिधारक के पास कुल 448.48 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि मानकर उसका 1/3 हिस्सा 149.49 स्टेण्डर्ड एकड़ माना है जिसमें 30 स्टेण्डर्ड एकड़ कम करने पर 119.49 स्टेण्डर्ड एकड़ बनता है जिसके अनुसार 119.49X3=358.47 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि अधिग्रहण योग्य बनती है। उक्त आदेश के पैरा–13 में भूमि का अंकन सवहन से 448.48 के स्थान पर 418.48 स्टेण्डर्ड एकड़ लिखा गया है तथा आदेश की इसी त्रृटि के कारण ही माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा 151/152 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर पारित निर्णय दिनांक 31.05.2002 मे भी भूमि की गणना 448.48 के स्थान पर 418.48 स्टेण्डर्ड एकड़ की जाकर प्रति ईकाई हिस्सा 149.49 स्टेण्डर्ड एकड़ के स्थान पर 139.49 स्टेण्डर्ड एकड़ माना जाकर कुल 329.47 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि अधिग्रहण के आदेश दिए है। इसी त्रृटि को अन्य प्रकरण में रिवीजन/LR/5729/2007 में निर्णय दिनांक 07.02.2013 में भी अंकित किया गया है। जबकि अतिरिक्त कलक्टर जोधपुर के आदेश 03.03.1986 मे स्पष्ट रूप से भूमिधारक के पास 448.48 स्टेण्डर्ड एकड़ मानी गयी है। अतः प्रश्नगत प्रकरण में भूमिधारक के पास 448.48 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि माना जाकर ही उसके तीन हिस्से किये जाकर प्रति ईकाई 30 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि देने के पश्चात शेष 358.47 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि राज्य सरकार के पक्ष में अधिग्रहण किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

स्वर्गीय श्री अजीतसिंह के कायममुकाम श्री सौभागसिंह वगैराह के अधिवक्ता श्री गुलाबसिंह चापांवत ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में राजस्व मण्डल अजमेर एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय किया जा चुका है जिसके तहत पक्षकारन द्वारा प्रस्तुत विकल्प पर कार्यवाही कराते हुए 90 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि देते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावें एवं 329.47 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि राज्य सरकार के पक्ष में ली जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया। अतिरिक्त कलक्टर जोधपुर के आदेश दिनांक 03.03.1986 द्वारा भूमिधारक स्वर्गीय श्री अजीतसिंह के पास कुल 448.48 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि मानते हुए भूमिधारक के पक्ष में 30 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि रखने के पश्चात शेष 418.48 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि को सीलिंग सीमा से अधिक मानते हुए राज्य सरकार के पक्ष में अधिग्रहण करने के आदेश दिए गए थे। उक्त आदेश के विरूद्व अप्रार्थीगण श्री सौभागसिंह वगैराह द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर में अपील संख्या 98/86 प्रस्तुत की गयी राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा उक्त अपील में पारित निर्णय दिनांक 13.08.1991 के पैरा संख्या–12 में स्पष्ट रूप से अंकन किया है कि *"हस्तांतरणों को मान्यता दिए जाने के पश्चात श्री अजीतसिंह के पास कुल भूमि 448.48 स्टेण्डर्ड एकड़ होती है यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय को उक्त सभी बिन्दुओं पर निर्णय लिया जाना आवश्यक था परन्तु यह नहीं बताया कि कौनसे बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय सही नहीं लिया है जहां तक कुल भूमि का प्रश्न है अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक कई बार कहने पर भी ऐसा कोई प्रमाण पत्रावली से नहीं बता पाये जिसे यह बताया जा सके कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जोडी गयी भूमि सही नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने भूमि की विस्तृत सूची दी और उसको जोडकर यह पाया है कि भूमिधारक के पास कुल 448.48 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि है इस गणना को सही नहीं मानने का कोई कारण नहीं है। इस भूमि में महाराजा अजीतसिंह का हिस्सा 149.49 स्टेण्डर्ड एकड़ आयेगा जो कुल भूमि का 1/3 हिस्सा है। भूमिधारक 30 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि धारण करने का अधिकारी है। यह भूमि कम करने के पश्चात 119.49 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि सीमा से अधिक पायी जाती है जिसे राज्य सरकार के पक्ष में अधिग्रहित करने के निर्देश दिया जाता है।" परन्तु उक्त आदेश के पैरा संख्या–13 में "अपीलार्थी के पास 418.48 स्टेण्डर्ड एकड भूमि के बजाय 119.49 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि सीमा से अधिक पायी जाती है जिसके संबंध में कानून के अनुसार कार्यवाही की जावे " लिखा गया है।* उक्त आदेश के पैरा–12 में कि गयी व्याख्या से स्पष्ट है कि माननीय न्यायालय द्वारा भूमिधारक के पास 448.48 स्टेण्डर्ड भूमि मानकर उसके 1/3 हिस्से कर प्रत्येक के हिस्से में 30 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि रखते हुए शेष प्रति ईकाई 119.49 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि कुल 358.47 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि सीलिंग सीमा से अधिक मानी जाकर राज्य सरकार के पक्ष में अधिग्रहित करने का आशय था। आदेश दिनांक 13.8.91 के पैरा–13 में सम्भवतः सहवन से 448.48

स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि के स्थान पर 418.48 स्टेण्डर्ड एकड़ अंकन हुआ है तथा प्रति ईकाई 119.49 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि अधिक होना माना भी है। धारा 151/152 सीपीसी के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.05.2002 में भी माननीय न्यायालय द्वारा सम्भवतः राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिनांक 13.08.1991 के अन्तिम पैरा संख्या–13 में अंकित 418.48 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि को मानते हुए उसका 1/3 हिस्सा 149.48 स्टेण्डर्ड एकड़ के स्थान पर 139.48 स्टेण्डर्ड एकड़ माना जाने का आदेश दिया गया है। इसी प्रकार माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 07.02.2013 में भूमिधारक का कुल रकबा 418.48 स्टेण्डर्ड एकड़ लिखा जाकर 329.47 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि को अधिग्रहण करने के आदेश दिए गए है। माननीय न्यायालयो द्वारा पारित विभिन्न निर्णयो का आदर पूर्वक सम्मान करते हुए मेरी विनम्र राय के अनुसार माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिनांक 13.08.1991 के पैरा–12 को पढने से यह स्पष्ट हो जाता है कि भूमिधारक के पास 448.48 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि मानी गयी है एवं उसका 1/3 हिस्सा माना जाकर 149.49 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि का उल्लेख किया गया है। अतिरिक्त कलक्टर जोधपुर के निर्णय दिनांक 03.03.86 मे भी भूमिधारक के पास 448.48 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि मानते हुए भूमिधारक की 30 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि को छोडने के पश्चात 418.48 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि को सीलिंग सीमा से अधिक मानते हुए राज्य सरकार के पक्ष में अधिग्रहण के आदेश दिए गए है। उक्त विवेचन से पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि भूमिधारक के पास 448.48 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि मानी गयी है तथा उसका 1/3 हिस्सा प्रति ईकाई 149.49 स्टेण्डर्ड एकड़ बनता है तथा 30 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि प्रति ईकाई कम करने पर प्रति ईकाई 119.49 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि सीलिंग सीमा से अधिक होती है। इस प्रकार तीनो ईकाईयो की सीलिंग सीमा से अधिक भूमि 119.49 X 3 = 358.47 स्टेण्डर्ड एकड़ बनती है। अतः मेरी विनम्र राय में भूमिधारक से राज्य सरकार के पक्ष में 329.47 स्टेण्डर्ड एकड़ की बजाय 358.47 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि सीलिंग सीमा से अधिक होने के कारण अधिग्रहण योग्य है।

तहसीलदार जोधपुर की रिपोर्ट के अनुसार भूमिधारक स्व0 अजीतसिंह ने अपने जीवन काल में अपनी पत्नी एवं दो पुत्रो श्री सौभागसिंह व श्री स्वरूपसिंह को ग्राम बिसलपुर तहसील जोधपुर की निम्नानुसार भूमियों का बेचान किया गया है :–

1. श्री अजीतसिंह द्वारा अपनी धर्मपत्नी राणी कछावाहजी व अन्य व्यक्ति देवीसिंह को हस्तांतरण किया गया :–

ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
बिसलपुर	1503	49.07 बीघा	चाही I
बिसलपुर	1498	21.18 बीघा	चाही II
बिसलपुर	1517	26.02 बीघा	चाही II

कुल रकबा 97.07 बीघा का 15.39 स्टेण्डर्ड एकड़ बनता है।

2. श्री अजीतसिंह द्वारा अपने पुत्र श्री सौभागसिंह को हस्तांतरित की गयी भूमि :–

ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
बिसलपुर	1629	18.09 बीघा	चाही III
	1630	145.12 बीघा	चाही II
	1627	0.03 बीघा	गै.मु.बेरा
	1628	162.15 बीघा	चाही III

कुल रकबा 326.19 बीघा का 51.69 स्टेण्डर्ड एकड़ बनता है।

3- श्री अजीतसिंह द्वारा अपने पुत्र श्री स्वरूपसिंह को हस्तांतरित की गयी भूमि :–

ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
बिसलपुर	1565/3	176.19 बीघा	बारानी III

कुल रकबा 176.19 बीघा का 12.41 स्टेण्डर्ड एकड़ बनता है।

इस प्रकार भूमिधारक श्री अजीतसिंह एवं उनके दो पुत्र सौभाग सिंह व स्वरुपसिंह द्वारा (15.39+51.69+12.41) कुल 79.49 स्टेण्डर्ड एकड भूमि का बेचान कर प्रतिफल प्राप्त करने से यह 79.49 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि उनके हिस्से में ही मानी जायेगी। यद्यपि उक्त बेचान/हस्तानान्तरण को न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर जोधपुर के निर्णय दिनांक 03.03.1986 एवं अन्य माननीय न्यायालयों द्वारा पारित आदेशो में मान्यता नहीं दी

गई है परन्तु उक्त भूमि का हस्तांतरण स्वर्गीय श्री अजीतसिंह द्वारा अपने पुत्र श्री सौभागसिंह व श्री स्वरूपसिंह तथा पत्नी राणी कछावाहजी के पक्ष में किया गया है। श्री सौभागसिंह व श्री स्वरूपसिंह तथा पत्नी राणी कछावाहजी द्वारा उक्त भूमि मे से अधिकाश भूमि का आगे से आगे अन्य व्यक्तियों को बेचान किया जाकर प्रतिफल प्राप्त कर लिया है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में आज भी नीजि खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार श्री अजीतसिंह एवं उनके पुत्र सौभाग सिंह व स्वरुपसिंह द्वारा कुल 79.49 स्टेण्डर्ड एकड भूमि का उपयोग करने से यह भूमि उनके हिस्से में ही मानी जायेगी तथा वर्तमान में इस भूमि के राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज बाबत किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं है।

राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 13.08.1991 के अनुसार कुल तीन यूनिट प्रति यूनिट 30 स्टेण्डर्ड एकड़ के हिसाब से कुल 90 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि भूमिधारक एवं उनके दो पुत्रो के पक्ष में गणना की जानी है। उपरोक्त विवेचन अनुसार भूमिधारक एवं उनके पुत्रो को देय 90 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि मे से भूमिधारक एवं उनके दो पुत्रो द्वारा 79.49 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि का उपयोग कर लिये जाने से (90–79.49) 10.51 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि उनके पक्ष में शेष बनती है।

इस प्रकार भूमिधारक स्व0 अजीतसिंह के कायममुकाम श्री सौभागसिंह वगैराह अब 10.51 स्टेण्डर्ड एकड भूमि प्राप्त करने के अधिकारी है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत विकल्प पत्र में ग्राम बिसलपुर तहसील जोधपुर के खसरा नम्बर 1623, 1624, 1625, 1626 कुल रकबा 13 बिस्वा किस्म गै.मु.बेरा एवं खसरा नम्बर 1628 रकबा 162.15 बीघा व खसरा नम्बर 1565, 1567 में से शेष भूमि चाही गयी है। खसरा नम्बर 1628 रकबा 162.15 बीघा भूमि पूर्व में अप्रार्थीगण के हिस्से की मानी जा चुकी है। खसरा नम्बर 1567 की कुल भूमि मे से 285 बीघा भूमि का हस्तांतरण श्री अजीतसिंह द्वारा अपने पुत्र श्री स्वरूपसिंह के पक्ष में किया गया था जिसको सीलिंग प्रकरण में मान्यता नहीं दी गयी परन्तु अप्रार्थीगण को 10.51 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि और दी जानी आवश्यक है ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को उनके विकल्प पत्र अनुसार ग्राम बिसलपुर तहसील जोधपुर के खसरा नम्बर 1623,1624,1625,1626 कुल रकबा 13 बिस्वा (गै.मु.बेरा) व खसरा नम्बर 1567 की कुल भूमि में से 99.01 बीघा भूमि दिये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार,जोधपुर को आदेश दिये जाते है कि ग्राम बिसलपुर तहसील जोधपुर के खसरा नम्बर 1623,1624,1625,1626 किस्म गै.मु.बेरा रकबा क्रमशः 0.02 बीघा,0.04 बीघा,0.04 बीघा,0.03 बीघा कुल रकबा 0.13 बीघा एवं खसरा नम्बर 1567 की कुल भूमि में से 99.01 बीघा किस्म बारानी प्रथम (0.13+99.01) कुल 10.51 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि भूमिधारक श्री अजीतसिंह के कायममुकाम श्री सौभागसिंह वगैराह की खातेदारी में दर्ज किया जावें। इस प्रकार भूमिधारक श्री अजीतसिंह के खाते की कुल 448.48 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि मे से 448.48/3=149.49 स्टेण्डर्ड एकड़ मे से प्रति यूनिट 30 स्टेण्डर्ड एकड़ कम करने पर प्रति यूनिट 119.49 स्टेण्डर्ड एकड़ यानि 119.49X3=358.47 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि राज्य सरकार के पक्ष में दर्ज की जानी है। इसमें से ग्राम नारलाई जिला पाली की 32.07 बीघा भूमि जो भूमिधारक की कुल 448.48 स्टेण्डर्ड एकड़ में सम्मलित थी के संबंध में तहसीलदार देसूरी की रिपोर्ट दिनांक 21.03.2017 अनुसार ग्राम नारलाई जिला पाली के खसरा नम्बर 805,806,807 (वर्तमान खसरा नम्बर 1139–1146 व 1158) रकबा 32.07 बीघा भूमि राज्य सरकार के पक्ष में दर्ज होना बताया गया है। अतः तहसीलदार जोधपुर/देसूरी अपने क्षेत्राधिकार में स्थित भूमिधारक की सीलिंग सीमा से अधिक 358.47 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि का राज्य सरकार के पक्ष में तत्काल राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कर कब्जा प्राप्त कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। आदेश सुनाया गया।

(भंवर सिंह सान्दू)
अतिरिक्त कलक्टर(प्रथम),
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 19.05.2017 को सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

अतिरिक्त कलक्टर(प्रथम),
जोधपुर